

चुनाव सुधारः एक वर्तमान आवश्यकता

Naseeb*

M.Phil. Scholar, Department of Political Science, MDU Rohtak

मुख्य शोध सारः- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक देश में कई आम चुनाव संपादित हो चुके हैं। इन चुनावों के समय उजागर होने वाली विभिन्न कमियों और असंगतियों की समय-समय पर चर्चा भी हुई है। इस चर्चा में संविधान के टीकाकार, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक समीक्षक, न्यायाधीश, पत्रकार, राजनीतिक विज्ञान के प्राद्यापक और जनसाधारण तक शामिल हुए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा भी समय-समय पर प्रस्ताव पारित कर के चुनाव सुधारों के बारें में लगभग यहीं सहमति सी पाई जाती है कि यदि चुनाव में धन के दुषित प्रभाव, बढ़ती हिसां, अत्यधिक खर्चीर्ले चुनाव, निर्दलीयों की बढ़ती बाढ़, जाली मतदान की घटनाएं तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान कराने वाली चुनाव मशीनरी की ही निष्पक्षता पर संदेह जैसी प्रवर्तियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिकार के आगे ही प्रश्नवाचक चिह्न लग जाएगा। अतः समय रहते चुनाव सुधार नहीं किए गए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद ही खोखली हो जाएगी। फलस्वरूप निर्वाचन सुधार समय की आवश्यकता है।

मुख्य शब्दः- चुनाव, निर्वाचन आयोग, संविधान, अखिल भारतीय संस्थाएँ, सरकारी मशीनरी, नोटा, मतदाता निरीक्षण पेपर आडिट ट्रायल आदि।

X

निर्वाचन आयोगः-

निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अंत चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। क्योंकि यह केन्द्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। 1993 से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है।

चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँः-

विभिन्न समितियों व आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की है। इन्होंने सुधार के सुझाव भी दिए हैं। इन समितियों व आयोगों का उल्लेख निम्न हैः-

1. तरकुंडे समिति (1974-75) में
2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990) में
3. वोहरा समिति (1993) में (अपराध व राजनीति के बीच सांठगाठ की जांच करने के लिए)।
4. इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998)-(चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर)
5. तनखा समिति (2010) में
6. जे. एस. वर्मा समिति (2013) में- (अपराधिक कानून में संसोधन पर)।

भारतीय चुनाव व्यवस्था की कुछ वर्तमान समस्याएँः-

भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक कई आम चुनाव व उप-चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। उनके द्वारा भारत में लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई हैं। संविधान के अधीन और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा निर्वाचन के संबंध में विस्तृत व स्पष्ट प्रावधान किए हैं। फिर भी

व्यवहार में निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन व्यवस्था को सर्वथा दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता है। हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था के दोष व अंसगतियाँ निम्न हैं:-

1. चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका:-

चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का ही गंभीर दोष नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि अन्य देशों में भी चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारे देश में कानून इस दोष के प्रति सचेत है। चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सीमा निश्चित की गई है। यह सीमा अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक ठहराया गया है कि वह चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव व्यय का हिसाब संबंध अधिकारी को प्रस्तुत कर दे। व्यवहार में धन की भूमिका अत्यधिक बढ़ती जा रही है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। भारत में यह बात भी सही है कि वोट खरीदे जाते हैं।

2. चुनाव में सत् रुद्ध दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग:-

भारतीय चुनाव में शासक दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग एक आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जब कभी विपक्षी दल सत् रुद्ध हुआ है तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पते हैं। इनका मूल उद्देश्य होता है:- चुनावों में वोट प्राप्त करना। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री स्तर तक के द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया जाता है।

3. मतदाता सूचियों की अपूर्णता:-

हमारी चुनाव प्रणाली में यह भी एक दोष है कि चुनावों के समय विशेषकर मध्यावधि चुनावों के समय मतदाता सूचियाँ प्रायः अपूर्ण रहती हैं। इनमें गलतियाँ भी पाई जाती हैं। परिणामस्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। चुनाव क्षेत्रों में भी कई बार ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जो शासक दल के अनुकूल होता है।

4. निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबावः-

निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक व अन्य प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाते हैं। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

5. निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुलता:-

भारतीय चुनाव व्यवस्था की एक गंभीर समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुसंख्या के कारण मतपत्र बहुत लंबे बनाने पड़ते हैं। मतदान पेटियाँ बड़ी या अधिक संख्या में तैयार करनी पड़ती हैं। जिससे व्यर्थ ही चुनाव व्यय बढ़ जाता है।

6. दलों को प्राप्त समर्थन व प्राप्त स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतरः-

हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था में वहीं प्रत्याशी विजयी माना जाता है। जिसे सर्वाधिक मत मिले हो। इस प्रणाली में जब प्रत्याशी दो से अधिक होते हैं तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मत अन्य सब पराजित प्रत्याशियों को प्राप्त मत से कम हो। आज तक केन्द्र में सत् रुद्ध होने वाले किसी भी दल की सरकार को मतदाताओं के 50 प्रतिशत मतों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है।

7. कुछ अन्य कमियाँ:-

भारतीय निर्वाचनों और निर्वाचन व्यवस्था की कुछ अन्य कमियाँ प्रायः ये बताई जाती हैं-कि जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, चुनाव नियमों का उल्लंघन, चुनावों में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, चुनाव आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारियों का न होना, कई बार डाक द्वारा आने वाले मतों की समुचित व्यवस्था न होना, मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेना आदि।

भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधारः-

भारतीय चुनाव प्रणाली क्रमिक रूप से सुधारों की ओर अग्रसर है। इसमें वर्तमान में भी सुधारों की व्यापक आवश्यकता है। भारत में वर्ष 2010 के बाद हुए भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार को निम्न रूप में जाना जा सकता है। इसका वर्णन निम्न है:-

1. एकिंजट पोल पर प्रतिबंध:-

लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान एकिंजट पोल करने तथा उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई है। इस तरह चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई व्यक्ति एकिंजट पोल नहीं कर सकता तथा उसके परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित नहीं कर सकता। इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दो साल की कैद व जुर्माना या दोनों का भागी होगा।

2. भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी:-

सभी अधिकारी, चाहे वे सरकारी सेवा में हों या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालित करने के लिए किसी तरह की मदद लेने पर भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण घेरे में लेने का प्रावधान किया गया है।

3. जमानत की राशि में बढ़ोतरी:-

लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमा की जाने वाली जमानत की राशि सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार और अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 हजार कर दी गई है। ऐसा अंगभीर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है।

4. विदेशो में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार:-

2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार दिया गया है। वे अपना नाम अपने संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।

5. नोटा विकल्प शुरू करना:-

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने उपर्युक्त में से कोई नहीं के लिए मतदाता पत्रों /इवीएम मशीनों में प्रावधान किया है। ताकि मतदान केंद्र तक आने वाले मतदाता चुनाव में खड़े हुए किसी भी उम्मीदवारों में से किसी को भी न चुनने का फैसला कर अपने मतदान

की गोपनीयता को बनाए रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मत नहीं डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। NOTA (None of the above) 'उपरोक्त में से कोई नहीं'।

6. मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल की शुरूआत:-

वीवीपीएटी ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और सात सेकंड तक नाम तथा चुनाव चिन्ह उजागर होता है। यह प्रणाली मतदाता को पेपर स्लिप के आधार पर अपने मत को चुनौती देने की सुविधा प्रदान करती है।

7. इवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो:-

चुनाव आयोग के आदेशानुसार 1 मई 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो, नाम तथा पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्राकाशित रहेगा। ताकि इस बारे में मतदाताओं के भ्रम का निवारण हो सके।

निष्कर्ष:-

चुनाव सुधार लोकतंत्र की प्रक्रिया का मुख्य फोकस लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना तथा इसे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना ही है। यह भी सही है कि चुनाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी करोड़ों की नकदी जब्त की जाती है। सामान्यतः जितनी धनराशि चुनाव लड़ने के लिए तय की जाती है। उससे भी अधिक धन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीदवार महंगाई को देखते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग करते हैं। अगर काले धन के इस्तेमाल को रोकना है तो निर्वाचन आयोग को तर्कसंगत तरीके से सोचना ही होगा। चुनाव सुधारों के लिए चुनाव आयोग को पहल करनी ही होगी। चुनाव सुधार एक जरूरत ही नहीं बल्कि वर्तमान आवश्यकता है।

संदर्भ सूची:-

1. राय, एम., “भारतीय सरकार एवं राजनीति” कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
2. शर्मा, हरिश्चन्द्र, “भारत में राज्यों की राजनीति” कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
3. नरूला, बी. सी., “भारतीय राजनीति” अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2016।
4. नारायण, इकबाल, “भारतीय सरकार एवं राजनीति” राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
5. जैन, पुखराज, “भारतीय सरकार एवं राजनीति” साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2001।
6. लक्ष्मीकांत, एव. “भारत की राजव्यवस्था” मैकग्राहिल एजुकेशन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2017।

Corresponding Author

Naseeb*

M.Phil. Scholar, Department of Political Science,
MDU Rohtak

naseebgulia.ng@gmail.com

Naseeb*